

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025 / 169

मुकदमा नम्बर 39 / 2025

दर्ज दिनांक— 07.04.2025

मोतीराम सैनी पुत्र श्री भादर मल सैनी जाति माली, निवासी नवलडी, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री संदीप कुमार सैनी,

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 02.06.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी की सरहद में स्थित खाता सं. 674 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 390 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 391 रकबा 0.11 है, खसरा नं. 398 रकबा 0.16 है, खसरा नं. 399 रकबा 0.34 है, खसरा नं. 400 रकबा 0.13 है, खसरा नं. 401 रकबा 0.13 है, खसरा नं. 402 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 403 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 403 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 404 रकबा 0.17 है, खसरा नं. 450 रकबा 0.29 है, खसरा नं. 406 रकबा 0.28 है, खसरा नं. 407 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 432 रकबा 0.17 है, खसरा नं. 434 रकबा 0.07 है, खसरा नं. 439 रकबा 0.05 है, खसरा नं. 440 रकबा 0.36 है, खसरा नं. 441 रकबा 0.52 है कुल किता 18 कुल रकबा 3.28 है में आवेदक का नाम मोती पुत्र भादर के स्थान पर मोती राम सैनी पुत्र भादर मल सैनी दर्ज व दुरुस्त करने के आदेश प्रदान करे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की ओर से पैरा. राज. उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक 7882 दिनांक 20.05.2025 पेश की गई। तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई दुरुस्ती की जाना उचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी की सरहद में स्थित खाता सं. 674 के अन्तर्गत भूमि

खसरा नं. 390 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 391 रकबा 0.11 है, खसरा नं. 398 रकबा 0.16 है, खसरा नं. 399 रकबा 0.34 है, खसरा नं. 400 रकबा 0.13 है, खसरा नं. 401 रकबा 0.13 है, खसरा नं. 402 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 403 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 403 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 404 रकबा 0.17 है, खसरा नं. 450 रकबा 0.29 है, खसरा नं. 406 रकबा 0.28 है, खसरा नं. 407 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 432 रकबा 0.17 है, खसरा नं. 434 रकबा 0.07 है, खसरा नं. 439 रकबा 0.05 है, खसरा नं. 440 रकबा 0.36 है, खसरा नं. 441 रकबा 0.52 है कुल किता 18 कुल रकबा 3.28 है में आवेदक का नाम मोती पुत्र भादर के स्थान पर मोती राम सैनी पुत्र भादर मल सैनी दर्ज व दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( जय सिंह )RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू